प्रेस विज्ञप्ति

05.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 03.09.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता स्थित साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और अन्य से संबंधित 05 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी कृष्णा दमानी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई।

ईडी ने साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के फंड के दुरुपयोग के लिए एलडी चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, कोलकाता के निर्देशों के अनुपालन में हेयर स्ट्रीट पुलिस, कोलकाता द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के फंड के गबन और धोखाधड़ी में शामिल अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के फंड को अपने बैंक खातों और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में विभिन्न डमी फर्मों/कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया है, जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं और मेसर्स पास्टिल मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, शानू फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, गोलू मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसी विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अपराध की आय को लूटा है।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच हो रही है।